न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
36/15	88, 89, 91 53 [illegible]	गूगोर	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
प्रेमलाल	बनाम	बंशीलाल

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
19/6/15	वकील वादी द्वारा एक द.प्र.सं. [illegible] 88, 89, 91, 53, [illegible] विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया प्रकरण [illegible] रजिस्टर कर जर्ये सम्मन प्रतिवादी [illegible] तलब कर प्रकरण दिनांक 6/7/15 को पेश हो।	
6/7/15	पत्रावली पेश, अनुसार फर्द वकील उप. वादी प्रतिवादी उपस्थित व दोनों पक्षों का राजीनामा पेश किया, वास्ते राजीनामा प्रमाणीकरण निपटारा दिनांक 20/7/15 को प्रकरण पेश होवे	1,2,3 [illegible] नि: बाबूलाल प्रेमलाल [illegible] बंशीलाल [illegible]
20/7/15	वकील वादी उप. राजीनामे पर अन्तिम आदेश हेतु प्रकरण निपटारा दिनांक 27.7.15 को पेश हो	
27/7/15	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने [illegible] स्थिति मे दिनांक... 4.8.15 [illegible] उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
4.8.15	वकील वादी उप. अन्तिम आदेश हेतु पत्रावली नियत आगामी दिनांक 12-8.15 को पेश होवे	
12/8/15	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक.....6.10.15.....को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

उपस्थित हुए। जिनके हस्ताक्षर कराये गये। वादी प्रतिवादी गणों के राजीनामा पढ़कर पक्षकारान को सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं। वादीगण की ओर से पहचान श्री ओम बिंद प्रताप सिंह एडवोकेट एवं प्रतिवादी गण की ओर से पहचान श्री भरत सिंह आशावत द्वारा की गई। वास्ते मुताबिक राजीनामा के आधार पर वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 9/3/21 को पेश हो।

9/3/21

कोरोना संक्रमण ... पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 12/4/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा,

12/4/21

कोरोना संक्रमण ... पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 19/5/21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा,

19/5/21

... पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 25/8/021 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा,

25/8/21

पत्रावली Covid-19 के कारण पूर्ववत पेश हुई। पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मि. किया। वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

प्रेम नाथ
Identify by Prabhakar

निर्णय बइजलास श्रीमती मनीषा तिवारी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या – 36/015
दायरा दिनांक – 19/6/015
निर्णय दिनांक – 25/8/21

उनवान

1– प्रेमलाल पुत्र कन्हैयालाल चमार निवासी कोटड़ी तहसील छबड़ा
2– बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल चमार निवासी कोटड़ी तहसील छबड़ा

बनाम

1– बंशीलाल पुत्र कन्हैयालाल चमार निवासी कोटड़ी तह० छबड़ा जिला – बारां
2– राज. सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला – बारां
3– उप-पंजीयक अधिकारी छबड़ा तह. छबड़ा जिला – बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 RTA

निर्णय दिनांक
25/8/021

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 व 188 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगणों के इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम अगौर तहसील छबड़ा जिला – बारां में भूमि ख.नं. 101/1 रकबा 3.01 बीघा 102/2 रकबा 0.06 बीघा 110/1 रकबा 0.11 बीघा, 208/1 रकबा 1.05 बीघा, 213/1 रकबा 1.15 बीघा 215/1 रकबा 0.14 बीघा कुल किता 6 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा अवस्थित है। जो वादीगण एंव प्रतिवादीगण के खातेदारी एंव राजस्व रिकार्ड में दर्ज जमाबंदी चली आ रही है। उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

भूमियों को पूर्व खातेदारान मदनलाल - मोतीलाल से वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 ने मिलकर शामलाती में बराबर - बराबर के हिसाब से प्रतिफल राशि अदाकर अर्सा लगभग 20 वर्ष पूर्व खरीद की थी। प्रतिवादी क्रम संख्या 1 वादी का बड़ा भाई होने से तथा परिवार का कर्ता - धर्ता होने के कारण उक्त वर्णित भूमियों को केवल मात्र फोरमल रूप से उसके खातेदारी में दर्ज कराई थी। प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में उक्त वर्णित भूमियों का बेचान हो जाने एवं उक्त वर्णित भूमिया उसकी खातेदारी में दर्ज हो जाने के पश्चात ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम संख्या 1 ने अपनी राजी खुशी एवं स्वेच्छा से उक्त वर्णित भूमियों का आपसी पारिवारिक विभाजन समभाग के हिसाब से अर्थात वादी क्रम 1 हिस्सा 1/3 एवं वादी क्र० 2 हि० 1/3 तथा प्रतिवादी क्रम 1 हि० 1/3 के अनुपात से कर भूमि पर आधिपत्य भी पृथक - पृथक रूप से प्राप्त कर लिया जिसको लगभग 20 वर्षों का समय हो चुका है।

आपसी विभाजन में प्राप्त हुई भूमिया हिस्सा 1/3 पर वादी क्रम संख्या 1 हि० 1/3 वादी क्रम स० 2 इसी प्रकार हि० 1/3 प्रतिवादी क्रम संख्या 1 नियमित रूप से अभी तक बहैसियत मालिक एवं खातेदार के लगभग 20 वर्ष से उक्त वर्णित भूमियों पर पृथक - पृथक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का आधिपत्य एवं कब्जा काश्त होने के कारण वादीगणों के हिस्सा 1/3, 1/3 पर प्रतिवादी क्रम 1 का हि० 1/3 पर एडवर्स पजेशन हो चुका है और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 अपने - अपने हिस्से में प्राप्त हुई भूमियों पर खातेदारी की श्रेणी को प्राप्त कर चुके हैं और धारा 63 राज० टीनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत मूल खातेदार अर्थात प्रतिवादी क्रम 1 की

(signature)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

खातेदारी वादी क्रम सं. 1 के हि० 1/3 एवं वादी क्रम सं. 2 हि० 1/3 पर खातेदारी स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। अतः वादी क्रम संख्या 1 हि० 1/3 एवं वादी क्रम संख्या 2 हि० 1/3 के अनुपात से उक्त वर्णित भूमियों को अपने नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज कराने एवं भूमियों का विभाजन उक्त अनुपात से कराने के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है।

वादीगणों ने प्रतिवादी क्रम 2 तहसीलदार छबड़ा के सम्बन्धित रेवन्यू अधिकारियों से सम्पर्क किया तो उक्त वर्णित भूमियों के हिस्सा 1/3 को वादी क्रम संख्या 1 के नाम तथा हि० 1/3 को वादी क्र. सं. 2 के नाम हि० 1/3 प्रतिवादी क्रम सं. 1 के नाम खातेदारी में दर्ज करने का कई बार प्रयास किया किंतु वादीगण की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में दिनांक 1/5/015 को पुनः अनुरोध करने पर प्रतिवादी क्र. सं. 2 तहसीलदार छबड़ा द्वारा वादीगण को खातेदारी का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करने की हिदायत दी गई। उसके पश्चात वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से भी उक्त वर्णित भूमियों को उक्त अनुपात के हिसाब से वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने का कई बार अनुरोध किया परन्तु वह भी टालमटोल करता रहा। पुनः दिनांक 3/5/15 को अनुरोध करने पर प्रतिवादी क्रम 1 ने उक्त वर्णित भूमियों को वादीगणों के नाम खातेदारी दर्ज कराने से कतई इंकार कर दिया और उक्त भूमियों का दान, रहन व बेचान करने की धमकी दी। यही दिनांक 3/5/015 को वाद कारण उत्पन्न हुआ।

राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं वाद प्रस्तुत

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0).

आवश्यक पक्षकार होने के सबब से राज्य सरकार को विधिवत नोटिस अन्तर्गत धारा 80 CPC प्रेषित कर तहसीलदार छबडा व उप पंजीयक छबड़ा को प्रोफार्मा प्रतिवादी क्रं 2 व 3 बनाये गये है। वादग्रस्त भूमियां माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण वाद के श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः भूमियां ख.नं. 101/1 रकबा 3.01 बीघा 102/2 रकबा 0.06 बीघा 110/1 रकबा 0.11 बीघा, 208/1 रकबा 1.05 बीघा, 213/1 रकबा 1.15 बीघा, 215/1 रकबा 0.14 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 7.12 बीघा वाके मौजा मुगोर तह० छबडा के हि० 1/3, 1/3 पर वादीगण क्रं 1 व 2 एवं हि० 1/3 पर प्रतिवादी क्रं 1 को शामलाती खातेदार घोषित किये जाकर उक्त वर्णित भूमियों का विभाजन अधिनियम के आधार पर वादीगण तथा प्रतिवादी क्रं 1 के मध्य उक्त अनुपात से किया जाकर विभाजित शुदा भूमियां हि० 1/3 को वादी क्रं 1 के नाम तथा हि० 1/3 वादी क्रं 2 के नाम एवं हि० 1/3 प्रतिवादी क्रं 1 के नाम पृथक-पृथक खातेदारी अर्थात राजस्व रिकार्ड में मू० अभि० जमाबंदी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रतिवादी क्रं 2 तहसीलदार छबडा को देने के आदेश जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्षकारानों ने दिनांक 18/11/2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो तस्दीक ~~होना~~ नहीं हो सका। दूसरी बार उभयपक्षकारान 23/9/019 को न्यायालय में उपस्थित हुए फिर भी पूर्व के पेश राजीनामा तस्दीक नहीं हो सका है। तीसरी बार उभयं पक्षकारान

उपखण्ड अधिकारी
छबडा, जिला बारां (राज0)

दिनांक 24/3/24 को बास्ते राजीनामा तस्दीक उपस्थित हुए है। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में अंकित कराया है कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 101/1 रकबा 3.01 बीघा, 102/2 रकबा 0.06 बीघा 110/1 रकबा 0.11 बीघा, 208/1 रकबा 1.05 बीघा, 213/1 रकबा 1.15 बीघा 215/1 रकबा 0.14 बीघा कुल किता 6 रकबा 7.12 बीघा ग्राम खोर में अवस्थित है जो हम वादीगण तथा प्रतिवादी ने लगभग 20 वर्ष पूर्व शामलाती में खरीद की थी। उक्त वर्णित भूमियों को खरीद कर लेने के पश्चात ही हम वादीगण व प्रतिवादी क्र.1 वंशीलाल ने हि० 1/3, 1/3, 1/3 अनुपात के आधार पर आपसी पारिवारिक विभाजन भी उसी वक्त कर लिया था। आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी अपने-अपने हिस्से की भूमियों पर नियमित रूप से अभी तक काश्त करते हुए चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमिया प्रतिवादी वंशीलाल जो कि वादीगणों के बड़े भाई है तथा कर्ता-धर्ता है जिसके क्रयशुदा भूमि उनकी नाम खातेदारी में करा दी थी। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी वंशीलाल उक्त वर्णित भूमियों के हिस्सा 1/3 को वादी क्र.1 प्रेमलाल हि० 1/3 वादी क्र. 2 बाबूलाल व हि० 1/3 प्रतिवादी 1 वंशीलाल खातेदारी में दर्ज कराना चाहते है तथा राजीनामा पेश करते है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हि० 1/3, 1/3, 1/3 खातेदारी में दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान करने का आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

दिनांक 24/2/21 को पक्षकारान उपस्थित हुए। दिनांक 18/11/016 को उभयं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पढ़, सुन, समझ पक्षकारान को सुनाया गया। पक्षकारान सहमत है। वादीगणों की ओर से श्री अरविंद प्रतापसिंह एडवो. एवं प्रतिवादी की ओर से श्री कमलसिंह आशावत एडवो. द्वारा पहचान की गई।

वादीगण की ओर से वाद पत्र में नकल जमाबंदी सम्वत 2071-2074 पेश की गई। जिसका अवलोकन करने पर ग्राम गुगौर तहसील छबड़ा के खाता संख्या 156 ख.नं. 10/1 रकबा 3.01 बीघा ख.नं. 102/2 रकबा 0.06 बीघा, ख.नं. 110/1 रकबा 0.11 बीघा ख.नं. 208/1 रकबा 1.05 बीघा, ख.नं. 213/1 रकबा 1.15 बीघा ख.नं. 215/1 रकबा 0.14 बीघा कुल किता 6 रकबा 7.12 बीघा भूमि बंशीलाल पुत्र कन्हैयालाल चमार निवासी कोटड़ी तहसील छबड़ा के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। उक्त भूमि में से वादीगण द्वारा हि० 1/3, 1/3 खातेदारी में दर्ज कर विभाजन चाहा गया है।

चूंकि खातेदारी राजीनामा पेश कर चाही गई है जबकि उक्त भूमि TRANSFER OF PROPerty है, इसलिए पक्षकारान प्रस्तुत राजीनामा वर्तमान D.L.C. दर से स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर राजीनामा तस्दीक किया जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार छबड़ा को निर्देशित किया जाता है कि यदि वादीगण वर्तमान D.L.C. दर से स्टाम्प ड्यूटी पेश करते है तो ग्राम गुगौर के खाता संख्या 156 ख.नं. 10/1 रकबा 3.01 बीघा 102/2 रकबा 0.06 बीघा 110/1 रकबा 0.11 बीघा, 208/1 रकबा 1.05 बीघा, 213/1 रकबा 1.15 बीघा 215/1 रकबा 0.14 बीघा कुल किता 6 रकबा 7.12 बीघा भूमि में वादीगण क्रम 1 व 2 को ~~खातेदा~~ हि० 1/3, 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज०)
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला–बारां (राज.)

प्रारम्भिक **डिक्री**

...संख्या 36/015	धारा अंतर्गत 88,89,91,53,188 RTA	निर्णय दिनांक 25/8/021

...: – द्वारा श्रीमती मनीषा तिवारी RAS उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला-बारां

...उपस्थिति :– अभिभाषक वादी श्री अरविंद प्रतापसिंह	अभिभाषक प्रतिवादी श्री कमल सिंह आशावत

वाद शीर्षक

1- प्रेमलाल पुत्र कन्हैयालाल चमार निवासी कोटड़ी तह० छबड़ा

2- बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल चमार निवासी कोटड़ी तह० छबड़ा

वादी

V/S

1- बंशीलाल पुत्र कन्हैयालाल चमार निवासी कोटड़ी तह० छबड़ा जिला-बारां

2- राज. सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला-बारां

3. उप. पंजीयक अधिकारी तहसील छबड़ा जिला-बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि :–

मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार छबड़ा को निर्देशित किया जाता है कि यदि वादीगण क्रम 1 व 2 वर्तमान D.L.C दर से स्टाम्प ड्यूटी पेश करते है तो ग्राम मुंगोर तहसील छबड़ा के खाता संख्या 156 के ख.न. 101/1 रकबा 3.01 बीघा, 102/2 रकबा 0.06 बीघा 110/1 रकबा 0.11 बीघा 208/1 रकबा 1.05 बीघा 213/1 रकबा 1.15 बीघा, 215/1 रकबा 0.14 बीघा कुल किता 6 रकबा 7.12 बीघा भूमि में वादीगण क्रम 1 व 2 को हि० 1/3, 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवावे।

साथ ही निम्नानुसार..............................रु. का व्ययानुतोष..............................द्वारा..............................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25/8/2021 को निर्गत किया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
	योग		